



UPSI180019432024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-252/2024

अमरेन्द्र कुमार

बनाम

श्याम बिहारी आदि।

दिनांक:-09.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय-पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं०-3,4 व 5 नियत है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद बिन्दु सं०-3,4 व 5 के निस्तारण पर बल दिया गया। सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०-3

उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दावा वास्ते घोषणात्मक प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वाद-पत्र के पैरा-7 में वाद का मूल्यांकन मु०-1200/-रुपये निर्धारित किया जाना कथित है। प्रतिवादी द्वारा उक्त मूल्यांकन के विरुद्ध कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन उचित प्रतीत होता है जिसकी पुष्टि मुंसरिम द्वारा अपनी आख्या में की गयी है। तदुसार वाद बिन्दु सं०-3 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०-4

उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दावा वास्ते घोषणात्मक प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा उपर्युक्त मूल्यांकन पर घोषणात्मक आज्ञासि हेतु न्यायशुल्क मु०-200/-रुपये अदा किया गया है। प्रतिवादी द्वारा उक्त मूल्यांकन एवं उस पर अदा न्यायशुल्क के विरुद्ध कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। मुंसरिम आख्या के अनुसार न्यायशुल्क उचित एवं पर्याप्त है। तदुसार वाद बिन्दु सं०-4 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं०-5

उक्त वादबिन्दु न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में विरचित है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत वाद वास्ते घोषणात्मक दाखिल किया गया है जिसकी सुनवाई का सम्पूर्ण अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन भी उचित निर्धारित किया गया है जोकि इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अन्दर है। विवादित सम्पत्ति इस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित है। अतः वादबिन्दु सं०-5 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वादबिन्दु सं०-5 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 23.10.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)

सिविल जज(जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

J.O.Code-UP3555